

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 16160/2018 राम किशोर पुत्र श्री भोरी लाल फौजी , उम्र लगभग 73 वर्ष, निवासी ग्राम बड़ बावनपुरा , तहसील चाकसू जिला जयपुर। वर्तमान में तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, तहसीलदार , कोटखावदा जिला जयपुर के माध्यम से

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री संदीप सिंह शेखावत , एडवोकेट
श्री डेविड के साथ महला , एडवोकेट
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री नीरज बत्रा , सरकारी वकील।

माननीय श्रीमान. जस्टिस अरुण शर्मा

आदेश**19/09/2024**

- यह याचिका राजस्व मण्डल, अजमेर (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा प्रतिवादी की अपील स्वीकार करते हुए पारित आदेश दिनांक 30.05.2018 से व्यथित होकर दायर की गई है।
- तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक सेवानिवृत्त सैनिक है। 04.06.1972 को याचिकाकर्ता को राजस्थान भूमि राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत भूमि आवंटित की गई थी। भूमि का कब्जा याचिकाकर्ता को 28.12.1977 को सौंप दिया गया था । आवंटन को रद्द करने के लिए तहसीलदार द्वारा 09.09.2008 को एक संदर्भ तैयार किया गया था । संदर्भ 12.09.2008 को पंजीकृत किया गया था । संदर्भ कार्यवाही में, श्री जगदीश प्रसाद, एडवोकेट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसके बाद, कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और याचिकाकर्ता पर एकतरफा कार्यवाही की गई। 24.04.2013 को संदर्भ की अनुमति दी गई और आवंटन आदेश रद्द कर दिया गया 29.12.2014

को आरएए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता को संदर्भ की सूचना नहीं दी गई थी। इसके अलावा, जिस वकील ने उपस्थिति दर्ज कराई थी, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दाखिल नहीं की थी। अपील स्वीकार कर ली गई और आवंटन रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया गया। अपील के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के नाम म्यूटेशन खोला गया था। 15.06.2016 को तहसीलदार ने म्यूटेशन रद्द कर दिया। इसके साथ ही प्राधिकारियों ने आरएए के आदेश के खिलाफ बोर्ड के समक्ष अपील दायर की। म्यूटेशन रद्द करने का आदेश राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत अपील का विषय था। राजस्व बोर्ड ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया और याचिकाकर्ता को भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा। आरएए के आदेश को रद्द कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान याचिका।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड के समक्ष विवाद का मूल यह था कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना ही संदर्भ में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया था, लेकिन बोर्ड ने मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया और रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरएए ने यह माना कि नोटिस की कोई तामील नहीं हुई थी, इसलिए मामले को वापस भेज दिया जाना चाहिए था, आरएए ने इसके बजाय रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया।

5. आरएए इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि नोटिस की कोई तामील नहीं हुई थी। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने पावर ऑफ अटॉर्नी दाखिल नहीं की थी। अपील स्वीकार कर ली गई। आरएए द्वारा विचारित और निर्णयित एकमात्र मुद्दा मामले में बचाव का अवसर प्रदान करना था। मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेजने के बजाय, विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया और आवंटन को बरकरार रखा गया।

6. राज्य द्वारा बोर्ड के समक्ष उठाई गई शिकायतों में से एक यह थी कि मामले को आरएए द्वारा वापस भेज दिया जाना चाहिए था। बोर्ड ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि आरएए ने केवल मामले में बचाव का अवसर दिए जाने के आधार पर अपील का निर्णय लिया था। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या आरएए को अपील को समग्र

रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए था और आवंटन आदेश को बरकरार रखना चाहिए था या याचिकाकर्ता को एक अवसर प्रदान करने के बाद मामले को निर्णय के लिए वापस भेज देना चाहिए था, इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका। बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, कलेक्टर के निर्णय की जाँच के लिए पक्षकारों को उपलब्ध एक मंच से इनकार कर दिया गया।

7. उपर्युक्त के मद्देनजर, बोर्ड के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और आरएए के आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अपील स्वीकार की जाती है और मामले को कलेक्टर को वापस भेज दिया जाता है ताकि पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार संदर्भ को नए सिरे से तय किया जा सके।

8. रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

(अवनीश झिंगन), जे

रिया/58

रिपोर्ट योग्य :- हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी